बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र07–विविध–24 / 2017– 112 खाद्य, पटना / दिनांक– 07/01/19

प्रेषक,

चन्द्रशेखर, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय :– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के अनुसार आधार की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 5772 दिनांक 17.12.2018 एवं अधिसूचना सं0 6353(अ) दिनांक 27 दिसम्बर, 2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित परिवारों के आधार सीडिंग हेतु 31 मार्च, 2019 तक अवधि विस्तारित की गयी है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में अनुदानित खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु आधार संख्या की आवश्यकता के मद्देनजर प्रत्येक लाभुकों का आधार सीडिंग किया जाना आवश्यक है। साथ ही, वैसे लाभुक जिनका किसी कारणवश Biometric Authentication नहीं हो पाता हो, उनके द्वारा भौतिक रूप से आधार कार्ड प्रस्तुत करने पर उसका नियमानुसार अभिलेख का संधारण करते हुए खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया है एवं वैसे वितरित खाद्यान्नों का समय–समय पर ऑडिट कराने का भी निदेश दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त वर्णित पत्र में दिये गये निदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय। साथ ही, इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि किसी भी लाभुक को Biometric authentication के एवज में खाद्यान्न से वंचित नहीं किया जाय ।

विश्वासभाजन।

अनु0– यथोक्त।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–विविध–24 / 2017– 112 खाद्य, पटना / दिनांक– 07/01/19

प्रतिलिपि – अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना / विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना एवं सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।